



16/3/2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीया	ब वा म	प्रतिवादी
स्योनी पुत्री चुनाराम जाट चितावा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	39/2022	GCMS No. 2022/69
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.03.2022	<p>वादीया/प्रार्थनी श्री स्योनी पुत्री चुनाराम जाट निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी एक प्रार्थना-पत्र/वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 16.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(नागौर)</p>	
16.03.2022	<p>प्रकरण आज लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीया स्योनी पुत्री चुनाराम जाट चितावा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा के खाता नम्बर 172 खसरा नम्बर 1, 2, 3, 7 मे वादीया की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि सोनी पुत्र चुनाराम दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादीया का शुद्ध स्योनी पुत्र चुनाराम जाट कालोली है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 506363461340, भामाशाह रसीद संख्या 9999-TKML-00140, दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी हल्का चितावा भू.अ.नि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	



74/76